

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पंजीकृत : 81 / प्र० ३० (त० स० - २) / जून २ / २०१५ - १६ दिनांक १० / ०२ / २०१६

अनुमति-पत्र

यह उन्नति त०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ को धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दो पाली हैं, विन्यु अर्थ में यह न रमझना चाहिये कि उन्हें लो सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन नान्दित स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी ग्राहक या किसी स्थानीय निकाट या इसका रथानी अटिकरी र उचित अथवा कर्म के मतिकान अधिकारों पर किसी का कोई अरार पड़ेगा अथांग यह अनुमति किसी के मिलियत या स्वामित्व के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री अनिल कुमार खरबाना दुव न्या मनोहर लाल खरबाना द्वारा भवन संख्या-२१/३९ शिव चरण लाल रोड इलाहाबाद जून संख्या (२) के अन्तर्गत दिए व्यवसायिक/आवासीय भवन मानदिव के क्रम में निनान्दित प्रतिवेदी के अधीन प्रदान की जाती है :

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा ५८ (१) के प्राप्तियानो के अनुरूप पूर्ण प्रमाण पत्र जाते होने के पश्चात ही उपर्योग/उपयोग किया जायेगा, यद्यन निर्माण एवं विकास अधिनियम २००६ में उपर्योग संख्या-२.१.३ एवं ३.१.३ में निर्धारित इकिया पूर्ण छवि पूर्णता त्रामाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. यह स्वीकृते अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की सती पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता त्रामाण-पत्र' प्राप्त करने ले वाद हो इस विवाह को गारानीलिक उपयोग में लाया जा सकेगा।
३. रख पर ४५३ फिट का एक बोई लागाकर प्राविष्टिकरण द्वारा रवीकृत मानदिव सम्बन्धी विवरण अंकित करना, अनेक वे होंगे, जिनमें ऑफिसेट/इन्जीनियर के प्रमाण का नाम भी शांकित हो।
४. निर्वित किये जाने वाले भवन की संरचना सुरक्षा एवं गुणवत्ता का दायित्व स्वयं आदेक का होगा।
५. टारक्षयापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष में नगर आयुवत्त, नगर नियन द्वारा मानदिव की स्वीकृति के क्रम में कोई दोषीय देखता/प्राविष्ट दारिद्र्य किये जाते हैं तो उसका भुगतान/अनुपालन आदेक को करना बाध्यकारी होगा।
६. उत्तुर नान्दित दिल्ली गविंग, प्रथम एवं द्वितीय तल पर शोप तथा तृतीय तल पर डा. वासीय निर्माण की अनुमति हेतु है। उत्तुरार ही निर्माण किया जाता एवं नियमानुसार पूर्णता प्राप्त करना आवश्यक है।
७. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के शास्त्रीय होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व या अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विधान साधारण न्यायालय/प्राविलारी द्वारा ही निरतारित किया जा सकता है।
८. विनियन रामाय १५ जारी शासनादेश व नियनों का पालन करना दोगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरंभित करता है तो उसे पक्ष को जना करना होगा।
९. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना दियागी गयी है अथवा 'लत सूचना' दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ मी धारा १५ (१) के अन्तर्गत नान्दित नियन्त्र करने शोध्य होगा।
१०. ४३ रवीकृत पत्र कंबल पैमां वर्ग को जारी किये जाएं हैं।
११. नक्कल निर्माण से यादि नाली के सदृश की पट्टी क्षेत्र सदृश या नाली के फिसी भाग (जो मकान के आग नग, पृष्ठ भाग अथवा ऊसके आकार के कारण ५० वर्ग हेटर) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कला तो पहले ही उसे अपने खावे से रखना करकर पूर्ववत् अवस्था विस्ते विकास प्राधिकरण को रातीय हो जाय, में कर देगा।
१२. दूसरी नियन्त्र के समय इसका दी ध्यान रखना होगा तिभा भारतीय विनियम १९५६ (इंडियन इलेगिस्टिक लॉल ३८५) नियम ४२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे गांगले पाये गये तो वह ऐसे नियन्त्र को रोक अथवा इन्वा सकता है।
१३. आदेक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण योग समर्पण योगी नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान बाबाद होने से पूर्व देना होगा। तथा उस आदेक का नाम भी देना होगा उल्लंघन में मकान निर्मित हुआ है।
१४. यदि निर्माण में वास्तव प्लान का उल्लंघन होता पाया गया हो नियन्त्र कर्ता को दी गई स्वीकृति रद सम्भवी जारी और किया गया नियन्त्र अनिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही अरन्त की जावेगी।

(प्र० ३०१५/२०१६)

(प्र० ३०१५/२०१६)

(प्र० ३०१५/२०१६)

(प्र० ३०१५/२०१६)

M. V. Deobal

